

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, अरवल के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु कुल राशि रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) मात्र अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबन्ध)/दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाइल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का श्रमिक कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० उपेन्द्र पासवान, 48, शिव नारायण पासवान, अनुसूचित जाति	सुनिता देवी, (पत्नी)	105, 16.02. 2026	ग्रा०-पहरपुरा, पो०-शहर तेलपा, था०+प्रखण्ड-करपी, जिला-अरवल 8969106515	712401 002382 47	DBGB, PUNBO MBGB0 6	रू 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
02	स्व० घनश्याम पासवान, 51, दुधेश्वर पासवान, अनुसूचित जाति	सुनिता देवी, (पत्नी)	136, 28.02. 2026	ग्रा०-बेनीपुर, पो०+था०+प्रखण्ड-कुर्था, जिला-अरवल 6207989647	3645020 1001411 5	Union Bank, UBINO 53645 8	रू 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राज मजदूरी का कार्य
03	स्व० सुरेन्द्र पासवान, 40, मिथलेश पासवान, अनुसूचित जाति	लीला देवी, (पत्नी)	137, 28.02. 2026	ग्रा०-निजामपुर, पो०-आईरा, था०+प्रखण्ड-कुर्था, जिला-अरवल 8797808298	7110010 0044424	DBGB, PUNBO MBGB0 6	रू 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर

कुल :- रू० 1,50,000/-

(एक लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-71/2025(अंश) - 764

पटना, दिनांक :- 18/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) मात्र** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, गयाजी/श्रम अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 05-06-2026 16:03:06
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक